न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 100/2022

अनवान :

1. जयप्रकाश पुनियां पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी मालकस त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. चेतराम पुत्र पतराम जाति जाट निवासी मालकस त0 भादरा।
2. बले सिंह पुनियां पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी मालकस त0 भादरा।
3. मन्दालसा पुत्री चेतराम जाति जाट निवासी मालकस त0 भादरा।
4. बैंक आफ बड़ौदा शाखा भादरा जरिए शाखा प्रबंन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : **वादी**

वकील श्री महावीर सिंह : **प्रतिवादीगण**

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

निर्णय **दिनांक : 08.06.22**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मालकस के खाता सं0 27/155 के खसरा सं0 132 की 1.8710है0, खसरा सं0 171 की 3.0480है0, खसरा सं0 188 की 14.986है0 कुल 19.9050है0 में प्रतिवादी चेतराम के नाम से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता पतराम की खातेदारी हुआ करती थी। उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 चेतराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में जयप्रकाश पुत्र श्री चेतराम जाति जाट निवासी मालकस त0 भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी मालकस के संवत 2074–2077 खाता संख्या 27/155 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी पैतृक कृषि भमि मालकस संवत 2044 खाता सं0 56/49 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भाडी प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड

Scanned with CamScanner

में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने मालकस के राजस्व रिकार्ड में अपने दादा के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में चेतराम के दो पुत्र जयप्रकाश पूनिया ओर बलेसिंह पूनिया व एक पुत्री मन्दालसा के अलावा वारिस प्रमाण पत्र में अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा मालकस के खाता सं0 27/155 के खसरा सं0 132 की 1.8710है0, खसरा सं0 171 की 3.0480है0, खसरा सं0 188 की 14.986है0 कुल 19.9050है0 में प्रतिवादी चेतराम के नाम से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 चेतराम अकेले की बजाय वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालकस के खाता सं0 27/155 के खसरा सं0 132 की 1.8710है0, खसरा सं0 171 की 3.0480है0, खसरा सं0 188 की 14.986है0 कुल 19.9050है0 में प्रतिवादी चेतराम के नाम से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 चेतराम अकेले की बजाय वादी जयप्रकाश पुनियां एवं प्रतिवादी सं0 1 चेतराम व प्रतिवादी सं0 2 बले सिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी स0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.06.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(शकुंतला चौधरी) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner